हुक्म		हुक्म का नं. में

07/5/18 पत्रावली पेश (वादी बाबूलाल उप० (वादी) प्रतिवादीगण सम्मन तामील हैं। न्यायहित के दृष्टिगत दिनांक 25/6/18 को पेश हो। सम्मन अंकन अनुपालना के लिए वादिनी को दिया जावे।

28-5-18 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रसगढ़ पेश हुई। वादी/ प्रार्थी..... उप०/प्रतिवादी..... श्री भावना पारस्परिक ..... कोर्ट में ..... की सुनवाई की ..... अनुसार कार्यवाही हेतु ..... दिनांक 25-6-18 को पेश हो।

25/6/18 पत्रावली पेश (वादी बाबूलाल उप० (प्रतिवादी) दिनांक 30/7/18 को पेश हो।

30/7/18 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० हैं। टी० सी० सा० का स्थानान्तरण हो चुका है। पत्रावली दि० 13/8/18 को पेश हो।

13/8/18 पत्रावली पेश (वादी या वकील वादी कोई उपस्थित नहीं आये। बार-बार आवाज लगवाई गई। अदालत में सायं 5 बजे तक इंतजार किया गया आवाज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं। वादी कोई ठोस पैरवी नहीं उपस्थित आये। अतः वादी के पक्ष की ओर से कार्यवाही नहीं लेते हुए कार्यवाही रोककर अगले अवसर हाजिर अदालत की जाती है। वादी को नोटिस किया जाता है कि वह अगले अवसर पर उपस्थित हो। (बुलाया गया)